रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 18, 2006/अग्रहायण 27, 1928
No. 594] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 18, 2006/AGRAHAYANA 27, 1928

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2006

सा.का.नि. 758(अ).—केन्द्र सरकार स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 721(अ) दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एक वर्ष के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :–

1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री स्वतंत्र कुमार	अध्यक्ष
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री बदर दुर्रेज अहमद	सदस्य
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एन. अग्रवाल	सदस्य

2. यह अधिसूचना 19 दिसम्बर, 2006 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 820/11/2003-पी आई टी एन डी पी एस]

के. एस. शर्मा, उप-सचिव

पाद टिप्पणी :—यह अधिसूचना सं. सा.का.नि. 721(अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खंण्ड (i) में 16 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित हुई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2006

G.S.R. 758(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 721(E), dated 16th December, 2005 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

1.	Hon'ble Mr. Justice Swatanter Kumar	Chairman
2.	Hon'ble Mr. Justice Badar Durrez Ahmed	Member
3.	Hon'ble Mr. Justice S.N. Aggarwal	Member

2. This Notification shall come into force with effect from 19th December, 2006.

[F. No. 820/11/2003-PITNDPS]

K. S. SHARMA, Dy. Secy.

Foot Note : This Notification No. G.S.R. 721(E), dated 16th December, 2005 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on 16th December, 2005.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.